बिलोपित

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

/निगरानी- 3381/2018/छतरपुर/भू.रा.

श्रीमती कुसुम जैन पत्नी श्री श्रयांश जैन, निवासी- नरसिंहगणपुरवा, तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

--आवेदिका

विरूद्ध

1. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

--असलअनावेदक

2. जितेन्द्र रिछारिया पुत्र श्री श्याम बिहारी रिछारिया, निवासी- चेतगिरी कॉलोनी, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.
3. शशि द्विवेदी पत्नी श्री ओ.पी. द्विवेदी, दोनो निवासीगण- देरी तिराहा सागर रोड़, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.

--तरतीवी अनावेदकगण

श्री विनोद भार्गव अधि. द्वारा आज दि. 1-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
01-06-2018

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छतरपुर, जिला छतरपुर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 221/अपील/अ-3/2016-17 में पारित आदेश पारित दिनांक 21/05/2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन अपील।

(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक/निगरानी/3381/2018/छतरपुर/भूरा — कुसुम बनाम शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-06-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद भार्गव उपस्थित। उन्हें प्रकरण में कायमी के बिन्दु पर सुना गया। मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया। प्रस्तुत तर्कों का परिशीलन किया। अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश दिनांक 21-05-18 में यह माना है कि आपत्तिकर्ता जितेन्द्र रिछारिया एवं शशि द्विवेदी हितबद्ध पक्षकार है तथा प्रकरण के निराकरण में कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है इसलिए आपत्तिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन स्वीकार करने तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति देने में कोई अनियमितता एवं त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । वेसे भी प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होकर अंतिम तर्क हेतु नियत है जहा आवेदक को सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है अतः उक्त परिपेक्ष्य में आलोच्य आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है लिहाजा यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं पायी जाने से अग्राहय की जाती है। 6/6/18 सदस्य	